

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. - 2025/125

उनवान

रामकल्याण आत्मज गोपाल जाति मीना निवासी डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, (राज.)

(अपीलान्त)

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल (मृतक) जयें का 0 मुकाम
1/1- अशोक आत्मज भैरूलाल जाति मीना
1/2- योगिता पुत्री भैरूलाल जाति मीना
1/3- सुमित्रा बेवा भैरूलाल जाति मीना निवासी गण डाहरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. सौंसरबाई बेवा गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति मीना निवासी ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा कोटा।
3. मंजूबाई पुत्री गोपाल पत्नि सुरेश कुमार जाति मीना निवासी ग्राम उदपुरिया तहसील दीगोद, जिला कोटा।
4. संजूबाई पुत्री गोपाल पत्नि दौलतराम जाति मीणा निवासी ग्राम मुगेना इटावा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा।
5. परमेश आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति मीना निवासी 822 शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा, जिला कोटा।

(रेस्पोंडेन्ट्स)

उपस्थित :- अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना (अपील)
अभिभाषक श्री बलराम शर्मा (रेस्पोंडेन्ट्स)

अपील बनाराजगी नामान्तकरण 1202 दिनांक 21.04.2022 तहसीलदार

दीगोद अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:- 8/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि में से संयुक्त खातेदार रेस्पोंडेन्ट नम्बर 3 द्वारा संयुक्त खातेदारी में से अपना हिस्सा रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में हकत्याग करने से रिलीज डीड दिनांक 1.11.

अति. जिला कलेक्टर
कोटा



2021 के आधार पर रेस्पाडेन्ट न.1 के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने में भारी त्रुटि की है। जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में से हकत्याग कर्ता अपना हिस्सा तो शेष सहकृषको के पक्ष में रिलीज कर सकता है किन्तु संख्यातेदारी में से एक संयुक्त खातेदार के पक्ष में रिलीज नहीं कर सकता है, जिससे नामान्तरण अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिलीज डीड के आधार पर रेस्पोडेन्ट न.1 का 1/3 हिस्सा का नामान्तरण तस्दीक करने में भारी त्रुटि की है जबकि रिलीज डीड में रेस्पोडेन्ट न.3 ने अपना हिस्सा रिलीज करने से संयुक्त खातेदारी में से रेस्पोडेन्ट न.3 का नाम तो संयुक्त खातेदारी से तर्क होगा, किन्तु इनका हिस्सा शेष सहकृषको के हिस्से में मर्ज होगा। सम्माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्त सहित अन्य सह कृषको को सूचित किये बगैर नामान्तरण तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत है तथा निरस्तनीय है। रिलीज डीड न तो हिस्सा का ट्रान्समर है, न गिफ्ट है, न ही रहन है, न ही सरन्डर है जिससे रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरण तस्दीक नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण की जानकारी जमाबंदी की नकल लेने पर दिनांक 1.08.2025 को हुई, तारीख जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।


अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 1202 दिनांक 21.4.2022 तहसीलदार दीगोद निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक बलराम शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार दीगोद के नामान्तरण संख्या 1202 दिनांक 21.4.2022 के विरुद्ध दिनांक 11.08.2025 को पेश हुई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। वकील अपीलान्त द्वारा जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त व सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो अवैध व प्रभावहीन है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे। वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

1. 2025(1)DNJ (Rev.) 633
2. 2025(1)DNJ (Rev.) 593


अति. जिला कलक्टर
कोटा

100

वकील रेस्पोजेन्टस् द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद मे नियमित वाद विचाराधीन है। नामान्तकरण प्रकिया से पक्षकारो के हक अधिकार तय नही किये जा सकते है। पक्षकारो के हक अधिकार तो नियमित वाद के दौरान ही तय किये जा सकते है। अतः अपील निरस्त फरमावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध रेकार्ड एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया। न्यायालय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की बहस एवं न्यायिक दृष्टान्तों से सहमत है कि " विशिष्ट सह-खातेदार के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित नही की जा सकती, रिलीज डीड निष्पादककर्ता के अधिकार स्वतः सभी सह खातेदारों में निहित हो जायेंगे "

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दीगोद द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 21.4.2022 अपास्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि नामान्तकरण के संबध में विधिसम्बत् कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक.....8/5/26.....को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

